कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1325 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः–उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लाट–4/पैकेज–2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74(नया NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/146609/2021)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/14/2023/एफ0सी0/107 दिनांक 28.04.2023।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) की पत्र संख्या–764/12–1 दिनांक 15.12.2023 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क0 सं0	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिती नहीं बदली जायेगी	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1581 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.581 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो ,स्थानीय स्वदेशी प्रजातीयों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। ख) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि रू. 7,09,539/– जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन भुगतान का साक्ष्य की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–01)** जमा धनराशि का विवरण इस प्रकार है– शर्त संख्या 03 (क) के अतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण हेतु–रू0 7,09,539/–CAMPA के खाता संख्या –150895034259595 में NEFT/ RTGS Challan के द्वारा जमा कर दी गई है। वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रभाग के अन्तर्गत गौला राजि के हल्दूचौड़ बीट संख्या 9 में उक्त परियोजना हेतु वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा एवं दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र का जी0पी0एस0 प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–02)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के

	मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और रतंगन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.7905 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूली करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार इस प्रस्ताव के तहत 0.7905 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य CAMPA को जमा करा दी गई है। जमा धनराशि का विवरण इस प्रकार है- शर्त संख्या 05 के अंतर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य हेतु 7,57,125/- CAMPA के खाता संख्या-150895034259595 में NEFT/RTGS Challan के द्वारा जमा कर दिया गया है। ऑनलाईन भुगतान का साक्ष्य प्रति संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक-01 के अनुसार)** वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि यदि कोई हो को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा, से सम्बन्धित शपथ-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक-03)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 83 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के राख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक, वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार एफआरए, 2006 प्रमाण-पत्र की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक-04)**
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के

	बढ़ाएगा।	अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण(mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करावायेंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विभाग वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हो।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल सं0 11–42/2017–FC दि 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के

	निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
26	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
27	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

26/12

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या– 1335 **/ 12-1 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।